


20.09.23 फ़ावली पेश हुई। वकील वादी या वादी
स्वंप उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर
भी उपस्थित नहीं हुए अतः वादी का वादपत्र अदम
पैरवी अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। फ़ावली नम्बर से क्रम होकर
बाद तरीक तकमील होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर जुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(अमिता बिशनोई)
RAS.